कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 28 अ–82/15–16 भू–अर्जन/10755 बैतूल दिनांक 28–10–2016
05/11/2016

ईश्तहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा बघोली जलाशय के बांध के लिए अतिरिक्त निजी भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम बुकाखेड़ी प0ह0न0 17 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैः–

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक विभाग द्वारा क्रय किया जाने वाला रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	176/1	0.189	0.095	ठगसैना व0 धुड़ल्या जाति कुन्बी सा देह
2	176/3	0.094	0.094	यशवंतराव व0 धुड़ल्या जाति कुन्बी सा देह
3	175	0.644	मकान	राघो व0 मूल्या सा0 देह
योग			0.189	

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम बुकाखेड़ी तहसील मुलताई के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की भूमि एवं परिसम्पत्ति आपसी सहमति से क्रय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 28-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशांक मिश्रा)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 28 अ—82 / वर्ष 15—16 / भू—अर्जन / 10755 बैतूल दिनांक 28-10- 5-11- — 2016
प्रतिलिपिः—

1— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

5— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6— तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8— सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बुकाखेड़ी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल